रजिस्ट्री सं० डी० (डी)-72 REGISTERED No. D-(D) 7

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 112] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 7, 1974/वैशाख 17, 1896

No. 112] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 7, 1974/VAISAKHA 17, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 7th May, 1974

G.S.R. 214(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Defence of India Act, 1971 (42 of 1971), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Defence of India Rules, 1971, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, No. G.S.R. 1842, dated the 5th December, 1971, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Defence of the India (Amendment) Rules, 1974.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of rule 177 of the Defence of India Rules, 1971.**—In the Defence of India Rules, 1971, in rule 177, after the figures "111," the figures "119," shall be inserted.

[No. 17/28/74—Poll (D-II)]

गृह मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 7 मई 1974

सा० का० नि० 214(अ).—भारत रक्षा अधिनियम, 1971 (1971 का 42) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, के दिनांक 5 दिसम्बर, 1971 की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1842 में प्रकाशित भारत रक्षा नियम, 1971 में और अधिक संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(i) ये नियम भारत रक्षा (संशोधन) नियम, 1974 कहलायेंगें ।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगें ।

2. **भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 177 का संशोधन.**—भारत रक्षा नियम, 1971 में, नियम 177 में, अंक "111" के बाद, अंक "119" अंत:स्थापित किया जायेगा ।

[सं० 17/28/74-पोल० (डी-II)]

G.S.R. 215(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 183 of the Defence of India Rules, 1971, the Central Government hereby specifies—

(i) rule 118 of the Defence of India Rules and the orders made thereunder, and

(ii) rule 118 of the Defence of India Rules and the orders made thereunder, read with rule 169, to be the rule and orders the contravention of which may be tried summarily by a Magistrate in accordance with the provisions contained in sections 262 to 265 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

[No. 17/29/74-Poll.I(D-II)]

C. V. NARASIMHAN, Jt. Secy.

सा० का० नि० 215(अ).—भारत रक्षा नियम, 1971 के नियम 183 के उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार :—

(i) भारत रक्षा नियम के नियम 118 तथा उसके अधीन बनाये आदेश ; और

(ii) भारत रक्षा नियम के नियम 169 के साथ पठित नियम 118 तथा उसके अधीन बनाये गए आदेश,

को एतद्द्वारा ऐसे नियम तथा आदेशों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिनका उल्लंघन किए जाने पर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 262 से 265 में निहित उपबन्धों के अनुसार मजि० स्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण (समरी ट्राइल) किया जायगा ।

[सं० 17/29/74-पोल० I(डी-II)]

सी० वी० नरसिम्हन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI. 1974